

उत्तर प्रदेश सरकार
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम अनुभाग
संख्या : 3387/69-1-2002-4 (एल)/2001
लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

मफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या-46 सन, 1993) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों को, अपने-अपने क्षेत्रों में, कार्यकारी प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
राकेश गर्ग
सचिव

संख्या-3387(1)/69-1-2002-4 (एल)/2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-.

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, ३० प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०।
4. सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ३०प्र०, लखनऊ को इन अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार कराने का काष्ठ करें।
7. महानिदेशक, पुलिस/समस्त पुलिस महानीक्षक, ३०प्र०।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ३०प्र०।
9. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, ३०प्र०।
10. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, ३०प्र०।
11. समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, ३०प्र०।
12. समस्त अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं टाउन परिया।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, ३०प्र०।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ३०प्र० इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
15. गार्ड बुक।

भवदीय,
राकेश गर्ग
सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

Nagariya Rojgar Evar Garibi Unmulan Karyakram Anubhag.

In Pursuance of he Provisions of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 3387/69-1-02-4(L)/ 2001 dated 23 November, 2002

NOTIFICATION

No. 3387/69-1-2002-4(L) 2001

Dated, Lucknow 23 November, 2002

In exercise of the powers under Sub-Section (1) of the Section 5 of The Employment of Manual Scavengers And Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act 1993 (Act no. 46 of 1993) the Governor is pleased to appoint all Sub-Divisional Magistrates, as an executive authority in their respective areas with effect from the date of issue of this notification.

By order,
(Rakesh Garg)
Secretary